5रु. कोर्ट फी Rs.5

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, दुमका

(8)

नामान्तरण अपील वाद संख्या–03/15–16

शंकर राम वगैरह, सा0–घाटरसिकपुर, अंचल–दुमका

वनाम

शिशुवाला देवी वगैरह, ग्राम–रसिकपुर, अंचल–दुमका।

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी के साथ
1	2	3

21.01.2021

आदेश

प्रस्तुत नामांतरण अपील वाद सं0–03/15–16 शंकर राम पे0–स्व0 जगदीश राम, स्व0 कन्हाई राम, पे0–स्व0 बिजली राम, ग्राम–घाटरसिकपुर, थाना–दुमका टाउन, अंचल–दुमका, जिला–दुमका द्वारा अंचलाधिकारी, दुमका के नामांतरण वाद सं0–318/10–11 शिशुवाला देवी बनाम 16 आना रैयत में दिनांक–28.08.2012 में पारित आदेश के विरुद्ध अपील दायर किया गया है।

अपीलकर्ता द्वारा अपने आवेदन में यह प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा –रसिकपुर, जमाबंदी सं0 – 73 (201/23)दाग सं0–877, रकवा – 00–02–08 (बी0क0धु0) जमीन जादु राम पे0–जानकी राम, अंचल कार्यालय, दुमका के रजिस्टर–II में दर्ज है। आवेदिका द्वारा वंशाबली में जादु राम के नावल्द दर्शातें हुए इसके जमीन का वैध उत्तराधिकारी बताते हुए स्वयं को जादु राम का भतीजा बताया है।

आवेदक का यह कहना है कि जादु राम के मृत्यु के पश्चात् वे ही वर्णित जमीन के हकदार है एवं उक्त जमीन उनके दखल में है।

अपीलकर्ता का कहना है कि विपक्षी सं0–01 श्रीमती शिशुवाला देवी, पति–स्व0 महादेव पाल, वर्तमान पता–रसिकपुर, अंचल–दुमका, जिला–दुमका के भाड़ेदार के रुप में उक्त मकान में रहते थे। वे कुछ लोगों के साथ मिलकर, जालसाजी करते हुए नामान्तरण वाद सं0–318/10–11 से अपने नाम नामांतरण कराने की कार्रवाई की जिसकी सूचना अपीलकर्ता को नहीं दी गई। इस प्रकार विपक्षी अंचलाधिकारी के साथ मिलीभगत से अपने नाम नामांतरण कराया है। इस प्रकार अपीलकर्ता द्वारा उक्त नामांतरण वाद को Setaside करने का अनुरोध किया गया है। अपीलकर्ता के द्वारा प्रस्तुत वाद में Limitation Act की धारा 5 के तहत् आवेदन दाखिल किया गया है। विपक्षी श्रीमती शिशुवाला देवी द्वारा अपने

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी के साथ
1	2	3

आवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि जादु राम एवं उनके बीच हुए एकरारनामा के आधार पर उन्हें यह भूमि प्राप्त हुआ है जिसका नामांतरण उनके द्वारा कराया गया है जो सही है। इस संबंध में अंचलाधिकारी, दुमका के पत्रांक–670/रा0, दिनांक–04.07.17 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचलाधिकारी, द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि राजस्व अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त भूमि नामांतरण के पूर्व खाताधारी जदु राम कहार, पिता–जानकी कहार द्वारा निबंधित दलील सं0–156/1951 दिनांक–25.04.1951 के माध्यम से डहरु कहार पिता–शम्भू कहार से क्रय किया गया है जो केता के स्वअर्जित सम्पति है। डीड–ऑफ एग्रीमेंट फॉर सेल शपथ पत्र संख्या–1856, दिनांक–30.03.2007 के आधार पर शिशुवाला देवी, पति–महादेव पाल, के नाम से नामांतरण किया गया है जदु राम कहार के जीवन काल से ही शिशुवाला देवी, अपने परिवार के साथ विषयगत जमीन में निवास करती आ रही है एवं वर्तमान में भी दखल कब्जा है।

दिनांक–03.07.19 को विपक्षी शिशुवाला देवी द्वारा समर्पित आवेदन से यह सूचित किया गया है कि अपीलकर्ता द्वारा सीनियर सिविल जज–1, दुमका के न्यायालय में टाईटल सूट नं0–101/2017 शंकर राम एवं अन्य बनाम श्रीमती शिशुवाला देवी दायर किया गया है जो न्यायालय में विचाराधीन है। इस प्रकार नामांतरण अपील वाद सं0–03/15–16 की कार्यवाही को स्थगित करने का अनुरोध किया गया है।

मैंने अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सूना। यह स्पष्ट है कि विवादित जमीन से संबंधित मामला सीनियर सिविल जज –1, दुमका के न्यायालय में टाईटल सूट नं0–101/2017 शंकर राम एवं अन्य बनाम श्रीमती शिशुवाला देवी के बीच विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में इस वाद में किसी प्रकार का आदेश पारित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः वाद की कार्रवाई स्थगित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

21.01.2024

भूमि सुधार उपसमाहर्ता

21.01.2024

भूमि सुधार उपसमाहर्ता
दुमका।

Digitally signed by ABDUS SAMAD
Date: 2024.07.27 19.06.34 +05:30
Location: 192.168.29.122